न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 10/2022
रजिस्ट्रेशन नं. :2022/14

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)	बनाम	अभियुक्त :– 1. प्रकाश चन्द्र जैन पुत्र श्री सुन्दरलाल जी मैसर्स–हिन्द किराणा, त्रिपुरा कॉलोनी, आकाशवाणी केन्द्र के पास, ठीकरीया, बॉसवाडा 2. प्रेमलता जैन पत्नि श्री प्रकाश चन्द्र जी (मालिक) मैसर्स–हिन्द किराणा, त्रिपुरा कॉलोनी, आकाशवाणी केन्द्र के पास, ठीकरीया, बॉसवाडा

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 14.06.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक **29–03–2022** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **16–10–2021** को 02.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉच हेतु **मैसर्स – हिन्द किराणा, त्रिपुरा कॉलोनी, आकाशवाणी केन्द्र के पास, ठीकरीया, बॉसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **प्रकाश चन्द्र जैन** उपस्थित थे। विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर **घी (ब्राण्ड खुशाली) के** 18 **पैक जार** 500–500 ml आम जनता को विक्रय हेतु पाया। इसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपरिथति में फार्म नं.5ए पर पर सूचना देते हुए **घी (ब्राण्ड खुशाली) के चार पैक जार** वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 840 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तरदीक की। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **घी (ब्राण्ड खुशाली) के चारो पैक जार** को नियमानुसार सील बन्द किया। उक्त नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटक[illegible] बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु अभिहित अधिकारी खाद्य [illegible] अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवा[illegible] को जमा करवाया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.06.23 15:17:56 IST
Reason: SelfAttested

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2021/304–305 दिनांक 24.12.2021 एव खाद्य विश्लेषक, जन

स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 329 दिनांक 20.12.21 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **घी (ब्राण्ड खुशाली)** का नमुना अमानक व मिथ्याछाप Sub-standard food under section 3(1)(ZX) of food safety and standards Act 2006 and violate food safety & standards (Packaging and Labelling) Regulation 2011, it is declare Misbranded also under section 3(1)(zf) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **घी (ब्राण्ड खुशाली)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 व धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 29–03–2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 30.05.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पुत्र ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण स्वास्थ कारण से उपस्थित होने में असमर्थ होने से आगामी पेशी पर उपस्थित हो पायेंगे। दिनांक 14.06.2022 को अभियुक्त सं. 1 स्वयं ने एवं अभियुक्त सं. 2 की ओर से स्वास्थ कारण से उनके पुत्र हार्दिक ने मय अभियुक्त सं. 2 का हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपीगणो द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2021/304–305 दिनांक 24.12.2021 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 329 दिनांक 20.12.21 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **घी (ब्राण्ड खुशाली)** का नमुना अमानक व मिथ्याछाप Sub-standard food under section 3(1)(ZX) of food safety and standards Act 2006 and violate food safety & standards (Packaging and Labelling) Regulation 2011, it is declare Misbranded also under section 3(1)(zf) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्तगणों द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.06.23 15:17:56 IST
Reason: SelfAttested

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड एवं धारा 3(1)(zf) के तहत मिसब्राण्डेड **घी (ब्राण्ड खुशाली)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 व धारा 52 का उल्लंघन किया है आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर **प्रकाश चन्द्र जैन पुत्र श्री सुन्दरलाल जी मैसर्स – हिन्द किराणा, त्रिपुरा कॉलोनी, आकाशवाणी केन्द्र के पास, ठीकरीया, बॉसवाडा रूपये 10,000/– (अक्षरे रू दस हजार मात्र) व प्रेमलता जैन पत्नि श्री प्रकाश चन्द्र जी (मालिक) मैसर्स–हिन्द किराणा, त्रिपुरा कॉलोनी, आकाशवाणी केन्द्र के पास, ठीकरीया, बॉसवाडा को रूपये 10,000/– (अक्षरे रू दस हजार मात्र)** के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2022 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति० जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.06.23 15:17:56 IST
Reason: SelfAttested